कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/10/2023/3912 दिनांक : 13/11/2025

–::आदेश::–

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर इस कार्यालय द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति सह–प्रशासनिक समिति (चयनित वेतनमान/एसीपी/एमएसीपी) की प्राप्त अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 04 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वांछित एसीपी/एम.ए.सी.पी. का लाभ एतद्द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित/स्वीकृत किया जाता है :–

क. सं.	कर्मचारी का नाम, पद व पदस्थापन न्यायालय का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	कर्मचारीगण की प्रथम नियुक्ति दिनांक, पद विवरण	कर्मचारीगण की वांछित 9/18/27 की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक	अन्य विवरण
01	02	03	04	05
1.	पवन कुमार पारीक स्टेनों ग्रेड–I न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम–01, जयपुर महानगर–द्वितीय	27.08.1998 स्टेनों ग्रेड–III	27 वर्ष 27.08.2025	–
2.	राकेश कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड–II न्यायालयः– एन.आई एक्ट क्रम सं.12 जयपुर महानगर–II	17.05.1997 च0श्रे0क0	––	कर्मचारी को वांछित 27 वर्षीय तृतीय एसीपी/एमएसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 17.05.1997 के आधार पर दिनांक 17.05.2024 से देय होती हैं, परन्तु नियमानुसार एमसीपी के लिये कर्मचारी की 09 वर्ष की एसीआर उपलब्ध होना आवश्यक होने से, कर्मचारी को वर्ष 2017–18 की एसीआर प्रस्तुत/कमी–पूर्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं।
3.	जगदीश नारायण गुर्जर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालयः– जे.एम. क्रम न0 09, जयपुर महानगर–II	25.08.1998 च.श्रे.क	27 वर्ष 25.08.2025	–
4.	गिरीश चन्द्र बाथम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–II	01.02.1992 च.श्रे.क.	27 वर्ष 18.12.2020 (राज्य सरकार के परिपत्र के क्रम में)	कर्मचारी को तृतीय एसीपी का लाभ राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकित 18.12.2020 के क्रम में नियुक्ति दिनांक 01.02.1992 के आधार पर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक 01.02.2016 के स्थान पर उक्त परिपत्र जारी/लागू किये जाने की दिनांक 18.12.2020 से स्वीकृत किया जाता हैं।
5.	दिलीप सिंह खंगारोत वाहन चालक न्यायालयः– जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–II	24.09.2013 A/N वाहन चालक	09 वर्ष 25.09.2025	कर्मचारी को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांकित 01 जून 2017 की अनुपालना में दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ 03 वर्ष स्थगित करते हुये, प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.09.2013(मध्याह्न पश्चात) के आधार पर दिनांक 25.09.2022 के स्थान पर 25.09.2025 को स्वीकृत किया जाता हैं।
6.	गुड्डी देवी तामील कुनिन्दा न्यायालयः– वाणिज्यिक न्यायालय,क्रम सं0–01, जयपुर महानगर–II	29.04.1998 च.श्रे.क	27 वर्ष 29.04.2025	–
7.	हुकम चन्द शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालयः– एन.आई एक्ट सं0 09, जयपुर महानगर–II	29.07.1998 च.श्रे.क	27 वर्ष 29.07.2025	–

नोटः–

01. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका/सेवारोल में किया जावें।
02. उपरोक्त आदेश के तहत जिन कर्मचारीगण को वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी./एमएसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया हैं, उनके वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश इस कार्यालय द्वारा पृथक से जारी किए जावेगें।

–sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 3913 दिनांक : 13 / 1 / 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय।
04. संबंधित कर्मचारी
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

13.1.25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय